

Uttar Pradesh Avas Evam Vikas Parishad

104, M G Marg, Lucknow-226001

New Added Vacant properties list for E-Auction 17.10.2023

Sl. No.	Auction Id	Zone Name	District Name	EMO Office	Scheme Name	Property Type	Property Category	Property No.	Reservation	Area of Property (Sqm.)	Cost of Property	Token Amount	FAR	Reserve Price/ Reserve Rate
17	16344	Kanpur	Etawah	ETAWAH	Spinning Mill Yojna Etawah	Non-Residential	Group Housing	-/GH-2	Unreserved	10817.66	490689058	49068906	2.5	45360
18	16344	Kanpur	Etawah	ETAWAH	Spinning Mill Yojna Etawah	Non-Residential	Group Housing	-/GH-3c CORNER	Unreserved	8677.26	432960565	43296057	2.5	49896
19	16344	Kanpur	Etawah	ETAWAH	Spinning Mill Yojna Etawah	Non-Residential	Group Housing	-/GH-5	Unreserved	9024.33	409343609	40934361	2.5	45360
20	16344	Kanpur	Etawah	ETAWAH	Spinning Mill Yojna Etawah	Non-Residential	Group Housing	-/GH-6c CORNER	Unreserved	9773.13	487640094	48764009.4	2.5	49896
21	16344	Kanpur	Etawah	ETAWAH	Spinning Mill Yojna Etawah	Non-Residential	Institutional Plots	INS/4	Unreserved	7943.76	360328954	36032896	2.5	45360
22	16344	Kanpur	Kanpur	KANPUR-YOJNA 2	Hanspuram Yojna	Non-Residential	Commercial Plots	1B/2/2	Unreserved	1142.4	56297472	5629747.2	N/A	49280

मा० न्यायालय में विचारित प्रकरण तथा अन्य अपरिहार्य कारणों से प्रस्तावित सम्पत्तियों की संख्या घट-बढ़ सकती हैं ।

आरक्षित श्रेणी की सम्पत्तियों हेतु आवेदकों द्वारा आरक्षण सम्बन्धी प्रमाण पत्र भी ई-नीलामी पोर्टल पर "Other Document" में अपलोड किया जाना होगा ।

यदि किसी आवेदक द्वारा आरक्षित श्रेणी की सम्पत्ति के विरुद्ध बोली में प्रतिभाग किया जाता है और बाद में यह पाया जाता है कि सम्बंधित बोलीदाता उस आरक्षण श्रेणी का नहीं है तो अपूर्ण/अवैध आवेदन मानते हुए समस्त टोकन धनराशि जप्त कर ली जाएगी, बाद में कोई दावा मान्य नहीं होगा ।

किसी भी नियम/विनियम, नियम व शर्तों, सम्पत्ति का विवरण यथा जोन, योजना, क्षेत्रफल आरक्षित दर, टोकन मनी, आरक्षण आदि के सम्बन्ध में परिषद की वेबसाइट www.upavp.in अथवा कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है, बाद में कोई दावा मान्य नहीं होगा । समस्त प्रस्तावित सम्पत्तियों का निस्तारण परिषद की सम्पत्ति निस्तारण की विनियमावली यथा संशोधित मार्च-2016 में प्राविधानित व्यवस्थाओं के अधीन किया जाएगा।

परिषद की समस्त प्रकार की आवासीय/अनावासीय संपत्तियां परिषद विनियमावली में प्राविधानित व्यवस्था के अधीन "जहाँ है जैसे है" के आधार पर निस्तारित की जाएँगी।

While registering on the e-Auction portal, please upload images or PDF of both sides of the documents to be uploaded.